न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.
विभागीय अपील संख्या 13/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
प्रभजोतसिंह गिल, तत0 उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर हाल– उपखण्ड अधिकारी, खाजू वाला जिला बीकानेर।		जिला कलेक्टर, बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 आदेश विरूद्ध जिला कलेक्टर, बाडमेर क्रमांक प.1( )(1) कार्मिक/2020/ 1553 दिनांक 26.02.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 26.02.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम, 1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।
3. अपीलान्ट के विरूद्ध जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्र दिनांक 23.11.2020 के द्वारा 03 आरोप आरोपित किये गये किः––
    1. यह है कि श्री प्रभजोतसिंह गिल, रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति रामसर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के (जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य) आम चुनाव, 2020 मतदाता सूचियों की एक मार्कड प्रति, जिसमें आरओं के सभी पेजो पर हस्ताक्षर एवं मार्क कॉपी मोहर लगी हुईसहित 3–3 कार्यकारी प्रतियां उपलब्ध करवाई जाती थी, परन्तु रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रभारी अधिकारी मतपत्र मुद्रण (कोषाधिकारी, बाडमेर) प्रकोष्ठ उपलब्ध करवाई गई मतदाता सूचियों पर मार्क कॉपी की मोहर नहीं लगी हुई थी एवं हस्ताक्षर आगे–पीछे किये गये जबकि प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये थे।
    2. पंचायती राज संस्थाओं के (जिला परिषद व पं0समिति सदस्य) आम चुनाव,2020 प्रभारी अधिकारी मतपत्र मुद्रण(कोषाधिकारी, बाडमेर) प्रकोष्ठ

को अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन के नमूना हस्ताक्षर की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई, जबकि अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर की प्रति मतदान दलों को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार अभ्यर्थी व उसके अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण मतदान दलों के मतदान दिवस के दिन केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्ति के समय परेशानी का सामना करना पडा।

3. पंचायती राज संस्थाओं के (जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य) आम चुनाव, 2020 के लिये तैयार की गई ईवीएम पर लगाये गये टेग्स का मिलान आप द्वारा नहीं किये जाने से ईवीएम पर गलत टेग्स लगे पाये गये। मतदान दलों को ईवीएम वितरण करते समय पाया गया कि ईवीएम मशीन पर टेग सही नहीं है और कई ईवीएम सही तरह से सिल्ड भी नहीं की गई। ईवीएम की कन्डीशन भी सही नहीं पाई गई। आपके पंचायत समिति रामसर के आर.ओ. होने के नाते तैयार समस्त ईवीएम पर लगे टेगस, उसकी कण्डीशन आदि की जॉच करने का समस्त दायित्व निर्वहन नहीं किया गया। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी, बाडमेर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बाडमेर के द्वारा मतदान के लिये ईवीएम तैयारी कार्य को चैक/जॉचने के दौरान आप पंचायत समिति रामसर की ईवीएम तैयारी कक्ष में अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार आप द्वारा आम चुनाव जैसे कार्य को गम्भीरता से नहीं लिये जाने के कारण जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन 2020 हेतु मतदान दलों की रवानगी के समय गफलत व परेशानी का सामना करना पडा।

4. अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन का दिनांक 14.12.2020 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार आरोप पत्र निस्तारित करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्रत्युतर को संतोषजनक नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 द्वारा उनकी एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने अपील में उक्त अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को दोहराते हुए यह भी कथन उल्लेखित किये कि आरोप संख्या एक के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार करते समय उस पर मार्क कॉपी अंकित नहीं किया गया था। यह आरोप गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि हमे ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांक पंचा/निर्वाचन/2020/2054 दिनांक 18.11.2020 द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वोटर लिस्ट की चार कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करके कोषाधिकारी बाडमेर को उपलब्ध करवाये जायेगे। मेरे द्वारा इस निर्देश की पालना की गई है। इसमें मार्क कॉपी के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये गये। मतदान दलों की रवानगी के समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पालना में एक प्रति पर मार्क कॉपी अंकित कर दिया गया था। यहॉ यह भी गौर तलब है कि उस प्रति को मार्क कॉपी अंकित

किया जाता है जिसमें पोस्टल बैलट अंकित किये जाते है। हमने चारों ही प्रतियॉ में पोस्टल बैलट अंकित कर दिया था। किसी भी कॉपी को मार्किग कॉपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था।इस तरह मार्क कॉपी अंकित किया जाना यह केवल एक चतवबमकनतंस पेनम था। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस आरोप को इस आधार पर प्रमाणित माना गया है कि मतदानदलों की रवानगी के समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशो के बाद वोटर लिसट की एक प्रति पर मार्क कॉपी अंकित किया गया जबकि असलियत यह है कि हमें पूर्व में मार्क कॉपी अंकित करने सम्बन्धी कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे जब मतदान दलों की रवानगी के समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बाबत निर्देश दिये गये तब हमने उन निर्देशों की पालना की थी लेकिन मेरे द्वारा उन निर्देशों की पालना करने को ''मेरे द्वारा गलती स्वीकार किया जाना'' मान लिया जो भी किसी तरीके से जायज नहीं है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन उल्लेखित किये कि आरोप संख्या दो के अनुसार दिनांक 22.11.2020 को मतदान दलों की रवानगी के समय उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर प्रदान नहीं किये गये। सबसे पहली बात तो यह है कि आरोप तथ्यात्मक तोर पर गलत है। मैंने अपने जवाब में इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव में 17 वार्डो में कुल 35 उम्मीदवार थे। इनमें से 32 उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर मतदान दलों को, मतदान दलों की रवानगी के समय उन्हें उपलब्ध करवा दिये थे। तीन उम्मीदवारों द्वारा 22 तारीख की सुबह निर्वाचन अभिकर्ता के फार्म भरवाये गये थे, इसलिये मतदान दलों की रवानगी के समय उन्हें यह फॉर्म दिया जाना सम्भव नहीं था क्योंकि मतदान दलों की रवानगी बाडमेर मुख्यालय से हुई थी और उम्मीदवारों से फार्म रामसर में भरवाये गये थे। यह बात सम्बन्धित मतदान दलों को बता दी थी और बाकी बचे हुए 03 उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर 22 तारीख की शाम तक मतदान दलों को उपलब्ध करवा दिये थे। इसके अतिरिक्त तथ्य कि नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध ना होने की वजह से मतदान के दिनांक 23.11.20 को दिक्कत पैदा हुई। जबकि रिकार्ड पर ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया जहॉ इस प्रकार की दिक्कत सामने आई हो। मेरे प्रकरण में मेरे जवाब की गलत व्याख्या कर यह निश्कर्ष निकाला गया कि मेरे द्वारा भूल स्वीकार की गई जबकि मैनें बताया था कि तीन उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हो सके थे। जिला कलेक्टर ने केवल मेकेनिकल तरीके से लिख दिया कि मतदान दलों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद नमूना हस्ताक्षर की प्रति उपलब्ध कराई गई। यह तथ्य सही नहीं है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन उल्लेखित किये कि आरोप संख्या तीन के अनुसार ईवीएम की तैयारी के दौरान बहुत सारी मशीनें ढंग से तैयार नहीं की गई थी व उन पर टेग भी गलत लगाये गये थे, यह आरेप पूरी तरह से बेबुनियाद और मिथ्या है। मैंने अपने जवाब में भी लिखा था कि मशीनें सही तरीके से तैयार की गई थी। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि मतदान के

दौरान कोई भी मशीन खराब नहीं हुई जो मशीने जिस मतदान केन्द्र के लिये निर्धारित थी, उसके मुताबिक ही टेग लगाये गये थे। टेग लगाने में कोई गलती नहीं हुई थी और मशीनों के वितरण के दौरान कही भी जरूरत नहीं पडी कि मशीनों के टैग्स बदले जायें। मशीनों की सही स्थिति नहीं होने बाबत यह नहीं बताया गया कि कौन सी मशीन स्पेसिफिक तौर पर सही नहीं थी और गलत टेग लगे थे। जिला कार्यालय से प्राप्त हुई ईवीएम मशीनों को तैयार किया गया था तथा इंजीनियर से चैक करवाने के बाद ही वितरित करवाई थी। अगर मतदान के दौरान मशीने खराब होती तो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पुख्ता सूचनाहोती कि किस बूथ पर कौन सी मशीने खराब हुई थी।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन उल्लेखित किये कि जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्ट के जबाव को किस प्रकार से संतोषजनक नहीं माना, इसकी कोई टिप्पणी अपीलाधीन आदेश में नहीं की गई है। मेरे दिनांक 19 नवम्बर को गर्वनमेन्ट कालेज में मौजूद नहीं रहने का आरोप भी लगाया, उक्त दिनांक को ग्राम गागरिया गांव में रास्ते से सम्बन्धित विवादहो गया था इसलिये मैं कालेज नहीं आ पाया, मेरी जगह तहसीलदार रामसर मौजूद रहे थे और दिनांक 20 व 21 को मैने अपनी उपस्थिती में मशीने तैयार करवाई गई थी। मुझ पर आरोपित आरोपों में किस आधार पर पूर्णतया दोषी ठहराया गया है उसकी कोई वजह नहीं बताई गई है।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन उल्लेखित किये कि जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मुझ अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई व्यक्तिगत अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत आवश्यक था, केवल generalished और vague आरोप आरोपित कर दिये गये और मेकेनिकल तरीके से अवधारणा कर फेसला पारित कर दिया जो दुर्भावना से प्रेरित है। उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रति आज दिनांक तक विभागीय रूप से अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई, मुझे जून, 2021 में रामसर तहसील के स्टॉफ से इस आदेश की जानकारी हुई थी, तब मेरे द्वारा यह अपील तैयार कर प्रस्तुत की गई। अतः अपीलान्ट की अपील को उपरोक्त आधारों पर सहानूभूतिपूर्वक विचार कर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 को निरस्त करावें।

10. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय से प्राप्त टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया कि आरोपित आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने से तथा चुनाव प्रकोष्ठ की टिप्पणी प्राप्त करने के उपरान्त समस्त तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त ही अपीलान्ट को प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश के तहत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो यथावत रखा जावें।

11. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा

अपीलान्ट के उपखण्ड अधिकारी, रामसर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के (जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य) आम चुनाव, 2020 के रिटर्निंग अधिकारी अधिकारी, पंचायत समिति के दायित्व निर्वहन बाबत कार्यो में लापरवाही बरतने पर तीन आरोपों से आरोपित किया गया है। जिला कलेक्टर बाडमेर कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया किया जिसमें अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि उनके उपरोक्त मतदान सम्बन्धी कार्यो के सम्बन्ध में किसी के द्वारा किसी प्रकार से शिकायत की गई या मतदान केन्द्र से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे यह दर्शित हो सके कि ईवीएम मशीन बन्द/खराब हुई या उस पर टेग नहीं लगे हुए पाये गये।

12. मतदान दलों की रवानगी के समय अपीलान्ट द्वारा 35 उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर मतदान दलों को उपलब्ध करवाना दर्शाया, शेष 3 उम्मीदवारों के समय पर नमूना हस्ताक्षर प्राप्त नहीं होने से विलम्ब होना बताया है। इसके अतिरिक्त दिशा–निर्देशों में वोटर लिस्ट की प्रतियॉ उपलब्ध करवाने बाबत दिये गये निर्देशों की पालना किये जाने का उल्लेख अपीलान्ट ने अपनी अपील में किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा अपनी प्रतिक्रिया अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं की है कि किस प्रकार से किस आधार पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा है। अपीलान्ट के जवाब में उनके द्वारा यह बताया कि वो दिनांक 19 नवम्बर को ग्राम गागरिया में रास्ते से सम्बन्धित विवाद हो जाने से वहां गये, इन कथनों पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा किसी प्रकार से जॉच नहीं करवाई और न ही कोई विपरित टिप्पणी की है। उपरोक्त आरोपों में वर्णित कार्यो के प्रति पूर्ण रूप से अपीलान्ट अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उक्त कार्यो हेतु अन्य कार्मिक/अधिकारी भी उनकी टीम में पदस्थापित रहते है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार/विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे मत में जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का जो आदेशित जारी किया गया है, वो न्यायोचित नहीं होने से बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2021 को निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट भविष्य में विभागीय कार्य समय पर एवं सजगतापूर्वक सम्पन्न करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर